पवन अरोड़ा RAS
अध्यक्ष

राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद्

दिनांकः 20.4.2016

शासन सचिव,
कार्मिक विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः **भारत सरकार की DFFT स्कीम के तहत प्रशिक्षण हेतु राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के आवेदन अग्रेषित करने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद् की ओर से आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा **DFFT** स्कीम के तहत अन्य देशों में प्रशिक्षण हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि 20 अप्रेल, 2016 नियत है। अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् केडर कन्ट्रोलिंग ॲथोरिटी अर्थात् कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा इन्हें भारत सरकार को ऑनलाईन अग्रेषित करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रेल, 2016 नियत है।

महोदय, इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत फण्डिंग की जाती हैं तथा राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ता तथा अन्य देशों में प्रशिक्षण से अधिकारियों के ज्ञान एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होती है जो मूलतः राज्य सरकार एवं आमजन हेतु उपयोगी सिद्ध होती है। गत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उक्त **DFFT** स्कीम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये आवेदन अग्रेषित नहीं किये जिससे भारत सरकार की उक्त योजना में शामिल प्रशिक्षणों में राजस्थान के अधिकारी भाग नहीं ले सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त योजना के तहत अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदनों को केडर कन्ट्रोलिंग ॲथोरिटी के रूप में कार्मिक विभाग द्वारा नियत अन्तिम तिथि 30.4.16 से पूर्व भारत सरकार को अग्रेषित करने हेतु समुचित निर्देश प्रदान कर कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का श्रम करें। इस बाबत परिषद् को पूर्ण आशा है राज्य सरकार त्वरित कार्यवाही कर अनुगृहीत करेगी।

सादर।

भवदीय,

(पवन अरोड़ा)
अध्यक्ष